उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

संख्या-72/2023/1114/52-1-2023-13(पी0एम0जे0वी0के0)/2019

लखनऊ : दिनांक 27 अक्टूबर, 2023

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-68/2023/1051/52-1-2023-13(पी0एम0जे0वी0के0)/2019 दिनांक 27.09.2023 में कार्यदायी संस्था का अंकन करते हुए यथासंशोधित आदेश निर्गत किये जाने विषयक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के पत्र सं0-3570/अ0सं0क0नि0/पी0एम0जे0 वी0के0-209/2023-24 दिनांक 20.10.2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में शासनादेश दिनांक 27.09.2023 के प्रस्तर-4(8) व पृष्ठांकन के क्रम संख्या-8 में कार्यदायी संस्था का नाम **" सम्बन्धित कार्यदायी "** के स्थान पर **" कन्सट्रक्शन एण्ड डिजायन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0), वि0/यान्त्रिक, नलकूप विंग "** (कार्यदायी संस्था नामित संबंधी शासनादेश संलग्न) पढ़ा जाये।

2- उक्त शासनादेश संख्या-68/2023/1051/52-1-2023-13(पी0एम0जे0वी0के0)/ 2019 दिनांक 27.09.2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष निर्देश/शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-1114(1)/बावन-1-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सम्बधित विभाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत सीवेज ट्रीटमेन्ट वर्क के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
8. निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजायन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0), वि0/यान्त्रिक, नलकूप विंग** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत सीवेज ट्रीटमेन्ट वर्क का समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **बलरामपुर**।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
12. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in